

पत्रांक-5/बी01-45/2016.....

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

भरत राम,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)
संलग्न विवरणी अनुसार।

पटना, दिनांक /

विषय :- राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत वर्ग IX एवं X कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओं के लिए पोशाक हेतु कुल रूपये **23,68,91,000/-** (तेईस करोड़ अड़सठ लाख इक्यानवें हजार रूपये) मात्र राशि का आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-02-माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0104-मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, विषय शीर्ष-34 01-छात्रवृत्ति/वजीफा, विपत्र कोड संख्या-पी 2202027890104 में वर्ग IX एवं X में नियमित रूप से अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल राशि रू0 **23,68,91,000/-** (तेईस करोड़ अड़सठ लाख इक्यानवें हजार रूपये) मात्र आपको संलग्न विवरणी अनुसार आवंटन आवंटित की जाती है।

- 2 यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 (वि० 2) दिनांक 17.04.1998 300(1) दिनांक-08.05.2009, 423 दिनांक-31.03.2016 2793 दिनांक-04.04.2016 एवं 4572 दिनांक-03.06.2016 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
- 3 उपर्युक्त आवंटन स्वीकृत्यादेश संख्या-66 दिनांक-27.01.2016 के आलोक में आवंटित है।
- 4 इस राशि की निकासी एवं व्यय स्वीकृत्यादेश संख्या-66 दिनांक-27.01.2016 में अंकित प्रावधानों के अनुसार की जाय।
- 5 आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।
7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
8. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना वित्त विभाग को यथा समय उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित रूप से विशेष दृढ़तापूर्वक प्रेषित किया जाय।
9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सकें।
10. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।
11. मितव्ययिता अवश्य बरतें।

विश्वासभाजन

80/


(भरत राम),

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक:- 235

पटना दिनांक:- 30/1/17

प्रतिलिपि:-संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)/अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(भरत राम),

सरकार के उप सचिव।



ग संख्या-21 मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-02-माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए
 शेष घटक योजना उपशीर्ष-0104-मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, विपत्र कोड-पी0 2202027890104 अंतर्गत विषय शीर्ष-34
 1-छात्रवृत्ति/वजीफा में वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिलावार आवंटित राशि की विवरणी।

क्र० सं०	जिला का नाम	09वीं एवं 10वीं कक्षा मे अध्ययनरत अनु० जाती एवं अनु० जनजाती बालिकाओं पूर्व में आवंटित राशि (रु० में)	09वीं एवं 10वीं कक्षा मे अध्ययनरत अनु० जाती एवं अनु० जनजाती बालिकाओं की संख्या	09वीं एवं 10वीं कक्षा मे अध्ययनरत अनु०जा० एवं अनु० जनजाती बालिकाओं को तत्काल आवंटित राशि (रु० में)	कुल आवंटित राशि (रु० में)
1	2	4	5	6	7
1	पटना	0	7414	7414000	7414000
2	नालन्दा	0	5506	5506000	5506000
3	भोजपुर	0	5433	5433000	5433000
4	बक्सर	0	5451	5451000	5451000
5	रोहतास	0	10559	10559000	10559000
6	कैमूर	0	3716	3716000	3716000
7	गया	0	9505	9505000	9505000
8	जहानाबाद	0	856	856000	856000
9	नवादा	0	5400	5400000	5400000
10	औरंगाबाद	0	7949	7949000	7949000
11	अरवल	0	2758	2758000	2758000
12	मुजफ्फरपुर	0	9991	9991000	9991000
13	वैशाली	0	12794	12794000	12794000
14	पूर्वी चम्पारण	0	7995	7995000	7995000
15	प० चम्पारण	0	10166	10166000	10166000
16	सीतामढ़ी	0	4079	4079000	4079000
17	शिवहर	0	1134	1134000	1134000
18	सारण	0	9543	9543000	9543000
19	सिवान	0	18406	18406000	18406000
20	गोपालगंज	0	5900	5900000	5900000
21	दरभंगा	0	7958	7958000	7958000
22	मधुबनी	0	20760	20760000	20760000
23	समस्तीपुर	0	15616	15616000	15616000
24	सहरसा	0	2954	2954000	2954000
25	मधेपुरा	0	3398	3398000	3398000
26	सुपौल	0	4811	4811000	4811000
27	पुर्णिया	0	4678	4678000	4678000
28	कटिहार	0	995	995000	995000
29	किशनगंज	0	1100	1100000	1100000
30	अररिया	0	2009	2009000	2009000
31	भागलपुर	0	5417	5417000	5417000
32	बांका	0	2830	2830000	2830000
33	मुर्गाँ	0	3347	3347000	3347000
34	बेगूसराय	0	7334	7334000	7334000
35	खगड़िया	0	3032	3032000	3032000
36	जमुई	0	3815	3815000	3815000
37	लखिसराय	0	1154	1154000	1154000
38	शेखपुरा	0	1128	1128000	1128000
	कुल	0	236891	236891000	236891000

कुल (तेईस करोड़ अरसठ लाख एकानवे हजार) रूपये मात्र।

(भरत राम)

सरकार के उप सचिव।